



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102020-222638
CG-DL-E-22102020-222638

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3323]
No. 3323]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 22, 2020/आश्विन 30, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2020/ASVINA 30, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2020

सं. 42/2015-2020

विषय:—नाइट्राइल/एनबीआर ग्लव्स की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 3750(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 2.01 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (वर्ष 1992 की सं. 22) की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा नीचे दिए गए उत्पाद के विवरण के अनुसार नाइट्राइल/एनबीआर ग्लव्स के निर्यात से संबंधित आईटीसी एचएस निर्यात नीति की अनुसूची-2 को संशोधित करने वाली अधिसूचना सं. 29 दिनांक 25.08.2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

क्रम सं.	आईटीसी एचएस कोड	विवरण	मौजूदा नीति	संशोधित नीति
207क	392690 एक्स 4015	नाइट्राइल/एनबीआर ग्लव्स	निषिद्ध	प्रतिबंधित

2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

अधिसूचना सं. 29 दिनांक 25.08.2020 को इस सीमा तक संशोधित किया गया है कि उपर्युक्त एचएस कोडों अथवा किसी अन्य एचएस कोड के अंतर्गत निर्यात किए जाने वाले नाइट्राइल/एनबीआर ग्लव्स की निर्यात नीति "निशिद्ध" से "प्रतिबंधित" श्रेणी में संशोधित की गई है।

[फा.सं. 01/91/180/21/एम 20/ईसी (भाग-1)-ई-21933]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं

पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2020

No. 42 /2015-2020

Subject: Amendment in Export Policy of Nitrile/NBR Gloves.

S.O. 3750(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes the following amendment in the **Notification No. 29 dated 25.08.2020** amending the Schedule 2 of the ITCHS Export policy related to export of Nitrile/NBR Gloves as per the product description given below:

S.No.	ITCHS Codes	Description	Present Policy	Revised Policy
207 A	392690 ex 4015	Nitrile/NBR Gloves	Prohibited	Restricted

2. Effect of this Notification:

The Notification No. 29 dated 25.08.2020 is amended to the extent that the export policy of Nitrile/NBR Gloves exported under above mentioned HS Codes or any other HS Code is revised from "Prohibited" to "Restricted" category.

[F. No. 01/91/180/21/AM20/EC(Pt.1)-E 21933]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade

Ex-Officio Addl. Secy.